

UPMT010016462026



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा

उपस्थिति :-डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-779/2026

विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव बनाम उ.प्र.राज्य

1. मुकदमा अपराध संख्या- 98/2018 धारा-420, 409, 406, 467, 468, 471 भा०दं०सं०, थाना- फरह, जिला- मथुरा के अभियुक्त **विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी गोविन्द शरण गौतम पुत्र देशराज गौतम , निवासी F सेक्टर 928 गोविन्द नगर, जिला-मथुरा द्वारा थानाध्यक्ष , थाना- फरह, जिला मथुरा को एक लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि कल्पतरु लिमिटेड कम्पनी के द्वारा बनाये गये स्थित चुरमुरा गाँव के निकट के चेयरमैन कृष्ण सिंह राणा व के०एम० पाण्डे पुत्र केशवदत्त पाण्डे , निवासी -मिथलेश नगर, किशोर नगर गली , औरंगाबाद, वित्त अधिकारी कल्पतरु कम्पनी ने प्रार्थी से दिनांक 14.12.2012 को प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित निवास स्थान पर सम्पर्क किया और उन्होंने कम्पनी द्वारा बनाये गये फ़्लैट स्थित थाना फरह, चुरमुरा गाँव का नक्शा दिखाया और बिक्री हेतु फ़्लैटों की जानकारी दी। प्रार्थी ने अपनी पत्नी श्रीमती प्रवेश गौतम तथा स्वयं के लिये 2(दो) फ़्लैटों का सौदा 1 बी०एच०के० जी का तथा 2 बी०के०जी० के मु० 7,00,000/- (सात लाख) ₹ व मु० 12,00,000/- (बारह लाख) ₹ का तय किया। दोनों फ़्लैटों और दिनांक पहली बुकिंग तारीख 14.12.2012 को ही एडवांस रूपया मु० 35,000/- (पैंतीस हजार) ₹ था , दूसरा फ़्लैट मु० 25,000/- (पच्चीस हजार) ₹ तथा दिनांक 24.08.2015 तक पहले फ़्लैट का रूपया दिया था। एलॉटमेंट तक 4,71,000/- (चार लाख इकहत्तर हजार) ₹ व दूसरा फ़्लैट का रूपया दिया था व 5,95,000/- (पाँच लाख पिचानवे हजार) ₹ अदा कर दिया तथा दोनों का दिनांक 14.11.2016 तक पैसा अदा किया गया , जिसकी रसीद फोटोस्टेट साथ में संलग्न है। अब तक प्रार्थी के 11,00,000/- (ग्यारह लाख) ₹ के लगभग पहुँच चुके हैं। जब प्रार्थी दिनांक 28.01.2018 को कब्जा हेतु गया तो पता चला कि कार्यालय में ताला बन्द है तथा किसी फ़्लैट का कोई पता नहीं लग रहा है। इस प्रकार प्रार्थी से दोनों फ़्लैटों का कुल मु० 11,00,000/- (ग्यारह लाख) ₹ लगभग ठग लिया गया है और कम्पनी द्वारा प्रार्थी को कोई रजिस्ट्रीकृत कागज भी नहीं दिया गया है , न ही कोई फ़्लैट और न ही उक्त रूपये

वापिस दिये गये हैं। अतः वादी की रिपोर्ट दर्ज कर उक्त कम्पनी के चेयरमैन कृष्ण सिंह राणा व वित्त अधिकारी के०एन०पाण्डे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। अतः वादी मुकदमा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तगण कृष्णकिशन सिंह राणा व के०एन०पाण्डे वित्त अधिकारी कल्पतरु के विरुद्ध अकदमा अपराध सं० 98/2018 अन्तर्गत धारा 420, 406 भा०दं०सं० विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा- 409, 467, 468, 471 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी।
4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई धोखाधड़ी/ठगी नहीं की गयी है, अभियुक्त निर्दोष है तथा मात्र तंग व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उक्त घटना में अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है तथा रिपोर्टकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन स्पष्ट नहीं दिखाया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त ने मुकदमा वादी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है और न ही वह मुकदमा वादी को जानता है। रिपोर्टकर्ता द्वारा मुकदमा झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर लिखाया गया है; अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है और वह निर्दोष है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 409, 406, 467, 468, 471 आई.पी.सी. का अपराध नहीं बनता है तथा उसका उक्त मामले से कोई संबंध या सरोकार नहीं है। अभियुक्त साधारण व संभ्रांत परिवार से है, परिवार के पालन-पोषण की पूर्ण जिम्मेदारी उसी पर है तथा समाज में उसकी अच्छी छवि है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। यह उसकी प्रथम जमानत प्रार्थना है; अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अभियुक्त दिनांक 05/05/2022 से जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
6. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।
7. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुये स्वयं को अनुचित लाभ पहुँचाकर तथा वादी एवं उसकी पत्नी को अनुचित नुकसान पहुँचाकर वादी

एवं उसकी पत्नी द्वारा उक्त कम्पनी में निवेश किये गये 11,00,000/- रुपये के एवज में न तो कोई फलैट दिये जाने एवं न ही वादी एवं उसकी पत्नी द्वारा जमा किये गये उक्त वर्णित रूपयों को उन्हें वापिस किये जाने का आरोप है। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि समान प्रकृति के कई व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त की गयी है। थाने से आवेदक / अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त 46 अन्य समान प्रकृति के आपराधिक मामलों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत मामले में आरोप-पत्र सम्बंधित न्यायालय में प्राप्त हो चुका है तथा सह-अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।

8. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण-दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तदुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।
9. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक:-10.03.2026

पवन कुमार, पी.ए.

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-03, मथुरा।

ID - UP6191